

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

प्रेषक,

कुलसचिव,

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



सेवा में,

प्रबन्धक,

लाली देवी महिला महाविद्यालय,
शंकर कोला, खजुरी, आजमगढ़।

पत्रांक पु.वि.वि./सम्बन्ध/2021/1430
दिनांक:

11.6.21

विषय— स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में प्रवक्ता पद पर अभ्यर्थियों के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-05.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपशान्त कुलपति जी के आदेश दिनांक 08.07.2021 के अनुक्रम में शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 तथा 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु प्रवक्ता के पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी का अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि उक्त अनुमोदन सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियुक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	विषय/पद नाम
1.	डॉ० मनोज कुमार सिंह आधार नं०-865344858067	श्री ओम प्रकाश सिंह	25.07.1984	एम०ए०, पी०एच०डी०	प्रवक्ता संस्कृत
2.	डॉ० विजय लक्ष्मी सिंह आधार नं०-243041053254	श्री सत्यनारायण सिंह	24.02.1984	एम०ए०, पी०एच०डी०	प्रवक्ता भूगोल
3.	डॉ० पंकज श्रीवास्तव आधार नं०-952182608841	श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव	14.08.1978	एम०ए०, पी०एच०डी०	प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र
4.	श्री सुनील कुमार शर्मा आधार नं०-443491809068	श्री सुरेश शर्मा	08.04.1978	एम०ए०, नेट	प्रवक्ता समाजशास्त्र
5.	डॉ० मन्जु कुमारी आधार नं०-836338059774	स्व० बाबूलाल	07.10.1978	एम०ए०, पी०एच०डी०	प्रवक्ता हिन्दी
6.	कविता सिंह आधार नं०-493245758345	श्री अरुण सिंह	04.05.1995	एम०ए०, नेट	प्रवक्ता गृहविज्ञान
7.	डॉ० चन्द्रलेखा आधार नं०-749479693381	श्री राजेन्द्र उपाध्याय	20.08.1975	एम०ए०, पी०एच०डी०	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा विभागाध्यक्ष के लिए आवश्यक भविष्यनिधि (कान्फ्रिड्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

प्रबन्धक

लाली देवी
शंकर कोला

खजुरी

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय, जौनपुर

Fax.: (05452) 252244, 252344
Web.: www.vbspu.ac.in

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्वल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/01-(तीन)/2022/ 584
दिनांक :

02.05.22

सेवा में,

प्रबन्धक,
लाली देवी महिला महाविद्यालय,
शंकरकोला, खजुरी,
आजमगढ़।

विषय:-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन के सन्दर्भ में।

महोदय,

- कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 05.04.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्राचार्य पद पर चयनित अभ्यर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पद
डॉ० अवधेश नारायण सिंह	श्री फतेहबहादुर सिंह	20.07.1979	एम0ए0, पी-एच0डी0	प्राचार्य
आधार संख्या-441922102591				

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा पत्र की प्रति प्राचार्य एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड संख्या सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो तथा वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा प्राचार्य के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। उक्त अनुमोदन नेट प्रमाण पत्र/पी-एच.डी. प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन किया जाता है।

भवदीय,

समर्पित 24/4/22

कुलसचिव

लाली देवी महिला महाविद्यालय,
आजमगढ़